(114)

II/निगा/रीवा/भू.रा/2017/4466 (221)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट, रीवा म.प्र.

Rs 30/-

राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी तनय श्री स्व. मदनमोहन त्रिपाठी, निवासी ग्राम अमरैया, थाना चोरहटा, तह. हुजूर, जिला– रीवा म.प्र. ––निगरानीकर्ता

बनाम

कुसुमकली द्विवेदी पत्नी श्री गंगाधर द्विवेदी , निवासी ग्राम अमरैया, थाना चोरहटा, तह. हुजूर, जिला– रीवा म.प्र. ––––– गैरनिगरानीकर्ता

यह निगरानी न्यायालय तहसीलदार, तह. हुजूर, जिला– रीवा म.प्र. के राजस्व प्रकरण कमांक 1 /अ–12 /16–17 में पारित आदेश दिनांक 31.10.17 के विरुद्ध प्रस्तुत की जा रही है।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म. प्र. भू–रा. सं. सन 1959 ई.

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं:–

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रकिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

राजेन्द्रप्रसादत्रिपाठी

(114)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक II / निग0 / रीवा / भू–रा0 / 2017 / 4466 जिला–रीवा

राजेन्द्र प्रसाद / कुसुमकली द्विवेदी

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सौरभ शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील हुजूर के प्रकरण क्रमांक 01 / अ–12 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 31.10.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 11.06.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	